न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 26 सन 2018
अनवान :–

1. हनुमान प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31. 12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 675/641 के खसरा न0 184/2 की 0.6700हैक खसरा न0 185/8.3590हैक खसरा न0 487/4 की 5.4760है कुल 14.5050हैक भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी सयुक्त तौर से 5/7 हिस्सा में 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी के नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में गांव का नाम सोनडी दर्ज नही हो सका अर्थात जमाबन्दी में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज है लेकिन भूलवंश गांव का नाम दर्ज नही हो पाया है जिससे प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी अपने नाम के आगे जाति जांगिड ब्रहाम्ण एवं गांव सोनडी दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर जबाब पेश किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 675 में प्रार्थी हनुमान पुत्र ख्यालीराम 1/7 हिस्सा में जाति जांगिड ब्रहाम्ण व साकिन सोनडी अंकित नही है जिसे दर्ज किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 675/641 के खसरा न0 184/2 की 0.6700हैक खसरा न0 185/8.3590हैक खसरा न0 487/4 की 5.4760है कुल 14.5050हैक भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी सयुक्त तौर से 5/7 हिस्सा में 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है प्रार्थी के नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में गांव का नाम सोनडी दर्ज नही हो सका अर्थात जमाबन्दी में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज है लेकिन भूलवंश गांव का नाम दर्ज नही हो पाया है जिससे प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी अपने नाम के आगे जाति जांगिड ब्रहाम्ण एवं गांव सोनडी दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 675 में प्रार्थी हनुमान पुत्र ख्यालीराम 1/7 हिस्सा में जाति जांगिड ब्रहाम्ण व साकिन सोनडी अंकित नही है जिसे दर्ज किया जाना उचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 675/641 के खसरा न0 184/2 की 0.6700हैक खसरा न0 185/8.3590हैक खसरा न0 487/4 की 5.4760है कुल 14.5050हैक भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी सयुक्त तौर से 5/7 हिस्सा में 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति एवं गांव का नाम अंकित नही है जिसे दर्ज करवाना चाहते है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में जाति जांगिड ब्रहाम्ण एवं गावं सोनडी दर्ज है प्रार्थी के प्राथना पत्र के सम्बध में पेरोकार राज को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की राजस्व रिकार्ड में जाति एंव नाम संशोधन करने में सहमति अंकित की गई है।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं पेरोकार राज के द्वारा प्रार्थी के द्वारा चाहे गये संशोधन के सम्बध में सहमति जाहिर करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 675/641 के खसरा न0 184/2 की 0.6700हैक खसरा न0 185/8.3590हैक खसरा न0 487/4 की 5.4760है कुल 14.5050हैक भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी सयुक्त तौर से 5/7 हिस्सा में 1/5 हिस्सा में हनुमान पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी संशोधन किया जाता है इसी अनूसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बेंक के रहन है तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official